भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2249

12 दिसम्बर, 2025 **को उत्तर के लिए**

रक्षा भूमि की स्थिति

2249. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में वर्तमान में रक्षा भूमि का कुल कितना क्षेत्रफल राज्य-वार अप्रयुक्त, अतिक्रमित अथवा मुकदमे के अधीन है;

(ख) क्या सरकार ने प्रभावित ग्रामीण समुदायों पर लंबे समय तक चलने वाली अधिग्रहण प्रक्रियाओं या बेदखली अभियानों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या सरकार रक्षा भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने और उन्हें चल रही भूमि शासन या परिसंपत्ति-मुद्रीकरण पहल के अंतर्गत सुलभ बनाने का विचार है और यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का प्रचालनात्मक और सुरक्षा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करते हुए भूमि की कमी वाले क्षेत्रों में लोक कल्याण अवसंरचना के लिए अधिशेष और गैर-प्रचालनात्मक रक्षा भूमि के उपयोग करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क): रक्षा भूमि का वास्तविक उपयोग सैन्य उद्देश्यों और सशस्त्र सेनाओं की रणनीतिक, संक्रियात्मक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाता है। लगभग 45906 एकड़ की रिक्त रक्षा भूमि की पहचान की गई है जो सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं से अधिक है। ऐसी भूमि से संबंधित ब्यौरे को अन्य केंद्र सरकारी विभागों में परिचालित किया गया है जिससे इन भूभागों (लैंड पॉकेट्स) से संबंधित उनकी आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके।

इनका राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-क पर संलग्न है। अन्य कोई भूमि, जो अप्रयुक्त प्रतीत हो सकती है, वह प्रमुख अवस्थिति योजना (केएलपी) के अनुसार सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण, सैन्यसंघटन अभ्यास, निर्माण और वैवाहिक आवासों के निर्माण इत्यादि के लिए है।

देश भर की लगभग 18 लाख एकड़ की रक्षा भूमि में से, लगभग 11152 एकड़ अतिक्रमण के अधीन है। अतिक्रमित रक्षा भूमि का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-ख पर संलग्न है।

पूरे देश में लगभग 8113 एकड़ रक्षा भूमि मुकदमे के अधीन है। इसका राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-ग पर संलग्न है।

(ख): रक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, उचित प्रतिपूर्ति का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 के अनुप्रयोज्य प्रावधानों के अंतर्गत, भू-स्वामियों को प्रतिपूर्ति एवं पुनर्वास पैकेज प्रदान किए जाते हैं, जब कभी उक्त अधिनियम के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय द्वारा निजी भूमि का अर्जन किया जाता है।

(ग): 'रक्षा भूमि' परियोजना के अंतर्गत रक्षा भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। सामान्य भूमि रजिस्टरों (जीएलआर) और सैन्य भूमि रजिस्टरों (एमएलआर) में दर्ज रक्षा भूमि अभिलेखों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में की जा चुकी है और डेटा को आवधिक तौर पर अद्यतित किया जाता है। सेना मुख्यालय को इस डेटा को सुलभ करवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, छावनी बोर्डों सहित रक्षा संपदा संगठन के अधीन सभी भवनों को जियो-टैग किया गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से रक्षा भूमि डेटा की सार्वजनिक सुलभता प्रतिबंधित है।

(घ): उपलब्ध रक्षा भूमि का उपयोग केवल वास्तविक उद्देश्य के लिए सशस्त्र सेनाओं की रणनीतिक एवं संक्रियात्मक आवश्यकताओं हेतु किया जाता है। तथापि, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के दिनांक 02.02.2016 और 21.10.2020 के पत्रों के अनुसार लोक अवसंरचना/जनोपयोगी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु सरकारी विभागों से प्राप्त रक्षा भूमि के अंतरण संबंधी अनुरोधों पर यह सुनिश्चित करने के उपरांत विचार किया जाता है कि उपयोगकर्ता सेवाओं की अनिवार्य संक्रियाओं के साथ कोई समझौता किए बगैर अथवा उपयोगकर्ता एजेंसी को उसकी अनिवार्य संक्रियाओं को सुचारू रूप से निष्पादित करने हेतु सक्षम बनाने हेतु उचित वैकल्पिक प्रावधान किए जाने पर रक्षा भूमि का हस्तांतरण किया जा सकता है। समान मूल्य की भूमि अथवा नकद प्रतिपूर्ति अथवा समान मूल्य की अवसंरचना के बदले में उक्त हस्तांतरण पर विचार किया जाता है।

*****

"रक्षा भूमि की स्थिति" के संबंध में दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2249 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-क

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	आन्ध्रप्रदेश	641.2100
2	असम	320.1800
3	बिहार	1533.0159
4	छत्तीसगढ़	472.4900
5	दिल्ली	817.5083
6	दीव	123.00
7	गुजरात	353.7120
8	हरियाणा	833.9876
9	हिमाचल प्रदेश	2381.7004
10	झारखण्ड	536.3600
11	कर्नाटक	513.5725
12	केरल	4.5031
13	मध्य प्रदेश	566.4462
14	महाराष्ट्र	6781.3462
15	मेघालय	25.8564
16	पंजाब	1714.9312
17	राजस्थान	2091.6018
18	तमिलनाडु	495.6841
19	तेलंगाना	126.0716
20	उत्तर प्रदेश	8840.6989
21	उत्तराखण्ड	8693.5730
22	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	877.9804
23	पश्चिम बंगाल	2060.5872
	कुल	45906.0168

"रक्षा भूमि की स्थिति" के संबंध में दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2249 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-ख

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	21.348
2	आंध्र प्रदेश	57.6665
3	अरूणाचल प्रदेश	77.665
4	असम	726.2104
5	बिहार	527.618
6	छत्तीसगढ़	75.9
7	दिल्ली	158.3715
8	गोवा	5.1166
9	गुजरात	247.2109
10	हरियाणा	790.8894
11	हिमाचल प्रदेश	61.1119
12	झारखंड	302.022
13	कर्नाटक	167.9166
14	केरल	1.717
15	लक्षदीप	0.08
16	मध्य प्रदेश	1733.206
17	महाराष्ट्र	984.9204
18	मणिपुर	5.6478
19	मेघालय	13.3402
20	मिजोरम	0.003
21	नागालैंड	356.1
22	ओडिसा	0.615
23	पंजाब	449.458193
24	राजस्थान	443.0685
25	सिक्किम	64.844
26	तमिलनाडु	202.451
27	तेलंगाना	96.1939

28	उत्तर प्रदेश	1639.334922
29	उत्तराखंड	56.7006
30	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	311.8692
31	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	29.581
32	पश्चिम बंगाल	1543.78121
	कुल	**11152.15873**

"रक्षा भूमि की स्थिति" के संबंध में दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2249 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-ग

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	अरूणाचल प्रदेश	1641.62
2	असम	47.271
3	बिहार	0.32
4	छत्तीसगढ़	0
5	दिल्ली	152.76
6	गोवा	9.47
7	गुजरात	428.82
8	हरियाणा	580.4
9	हिमाचल प्रदेश	1.48
10	झारखंड	5.26
11	कर्नाटन	141.438099
12	केरल	0.05
13	मध्य प्रदेश	112.9462
14	महाराष्ट्र	564.3072
15	मणिपुर	1.57
16	मेघालय	19.9535
17	मिजोरम	3.102
18	नागालैंड	197.82
19	ओडिसा	0.114
20	पंजाब	104.75877
21	राजस्थान	355.4695
22	सिक्किम	0.73
23	तमिलनाडु	66.245
24	तेलंगाना	422.7629
25	त्रिपुरा	0.74
26	उत्तर प्रदेश	1296.742

27	उत्तराखंड	727.2854
28	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	930.3679
29	चंडीगण संघ राज्य क्षेत्र	2.048
30	पश्चिम बंगाल	297.1968
	कुल	8113.0427

*****